जब भी किसी व्यक्ति का यातायात पुलिस शाखा या किसी पुलिस थाने के माध्यम से यातायात के नियमों के उल्लंघन के संबंध में कोई ई- चालान बनाया जाता है, तो चालान में उपलब्ध कराये गए मोबाईल नंबर पर चालान व उसकी राशि की जानकारी मैसेज के जरीये प्राप्त होती है। इसके बाद यदि वह व्यक्ति उक्त राशि पुलिस विभाग में जमा नहीं कराता है, तो नियत अवधि के बाद उक्त ई- चालान को वर्चुअल कोर्ट में प्रेषित किया जाता है। वर्चुअल कोर्ट द्वारा उक्त मामले के तथ्यों को देखते हुए उचित जुर्माने का आदेश किया जाता है, जिसका मैसेज भी आरोपी व्यक्ति को पंजीकृत मोबाईल पर प्राप्त होता है। इस प्रकार का मैसेज प्राप्त होने पर वह वर्चुअल कोर्ट के पब्लिक पोर्टल पर जाकर न्यायालय के आदेश की अनुपालना में ऑनलाईन जुर्माना राशि जमा करा सकता है। पब्लिक पोर्टल का URL निम्न है-

https://vcourts.gov.in/virtualcourt

किसी भी वेब ब्राउजर पर उक्त URL Address टाइप करने पर निम्नानुसार वर्चुअल कोर्ट का पब्लिक पोर्टल खुलेगा ।

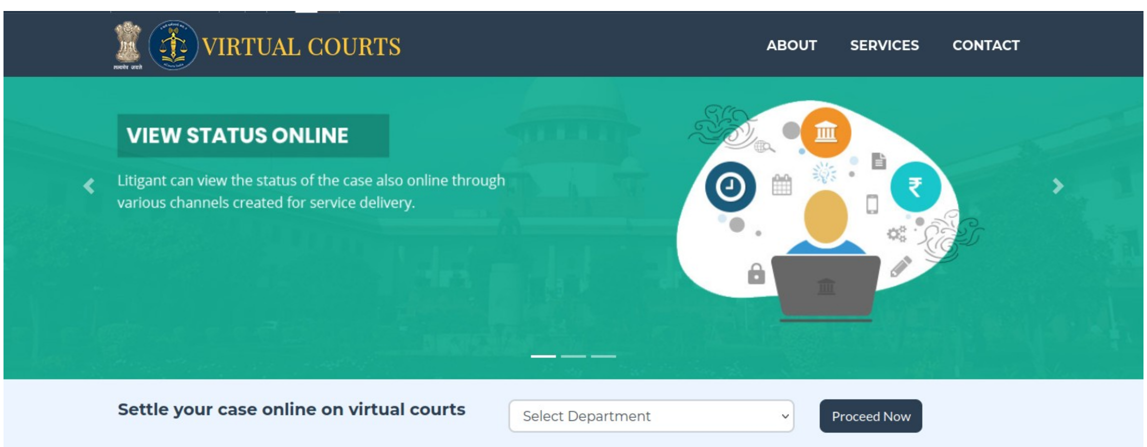

डेशबोर्ड पर सर्वप्रथम नीचे बने सलेक्शन बॉक्स में से ई- चालान बनाने वाले संबंधित विभाग का चयन कर Proceed Now बटन पर क्लिक करें। उदाहरण के तौर पर राजस्थान ट्रेफिक पुलिस द्वारा बनाये गए ई- चालान के लिए विभागों की सूची में से राजस्थान ट्रेफिक पुलिस चुनें। इसके बाद निम्न विंडो खुलेगी-

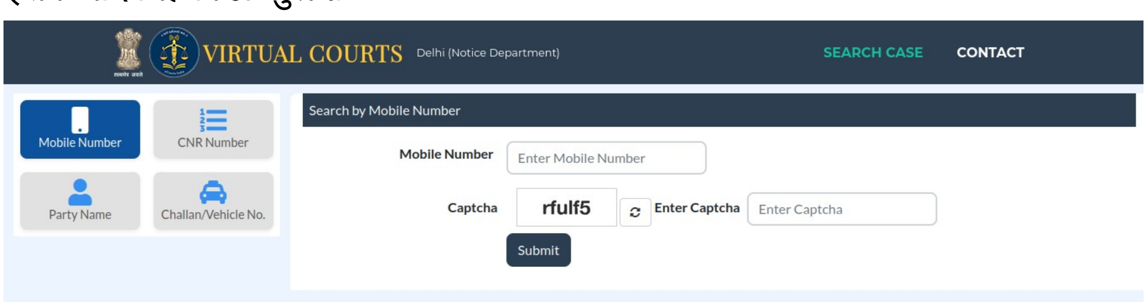

इसमें संबंधित मामले को ढुंढने के लिए चार मापदण्ड दिये गए है, यथा- मोबाईल नंबर, सी. एन. आर. नंबर, पक्षकार का नाम और चालान नंबर\ वाहन नंबर। इनमें से जिस भी माध्यम से मामले को खोजना चाहते है, उस पर क्लिक करने पर संबंधित विवरण दायीं ओर दिखायी देगा। आवश्यकतानुसार विवरण (मोबाईल नंबर, सी. एन. आर. नंबर, पक्षकार का नाम या चालान नंबर\ वाहन नंबर) अंकित करने के बाद दर्शित केप्चा कोड प्रविष्ट करें और सबमिट बटन दबायें ।

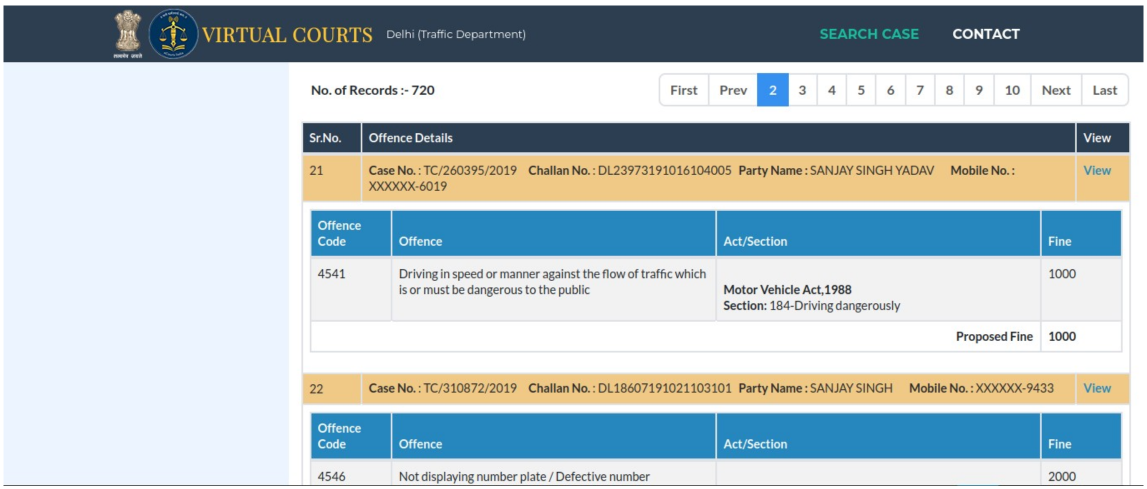

VIRTUAL COURTS Delhi (Traffic Department) SEARCH CASE CONTACT

No. of Records :- 720

First Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last

Sr.No.	Offence Details	View
21	**Case No. :** TC/260395/2019 **Challan No. :** DL23973191016104005 **Party Name :** SANJAY SINGH YADAV **Mobile No. :** XXXXXX-6019	View

Offence Code	Offence	Act/Section	Fine
4541	Driving in speed or manner against the flow of traffic which is or must be dangerous to the public	**Motor Vehicle Act,1988** **Section:** 184-Driving dangerously	1000
		Proposed Fine	1000

Sr.No.	Offence Details	View
22	**Case No. :** TC/310872/2019 **Challan No. :** DL18607191021103101 **Party Name :** SANJAY SINGH **Mobile No. :** XXXXXX-9433	View

Offence Code	Offence	Act/Section	Fine
4546	Not displaying number plate / Defective number		2000

इसके बाद नीचे इनपुट किये गए विवरण से संबंधित मामले का विवरण दिखायी देगा। यदि इनपुट किये गए विवरण से संबंधित एक से अधिक मामलें है, तो सभी मामलें दिखायी देंगे, जिनका पूर्ण विवरण दायीं ओर बने View लिंक पर क्लिक कर देखा जा सकता है। स्वयं से संबंधित मामले पर दायीं ओर बने View लिंक पर क्लिक करने पर मामले का पूरा विवरण निम्नानुसार दिखायी देगा-

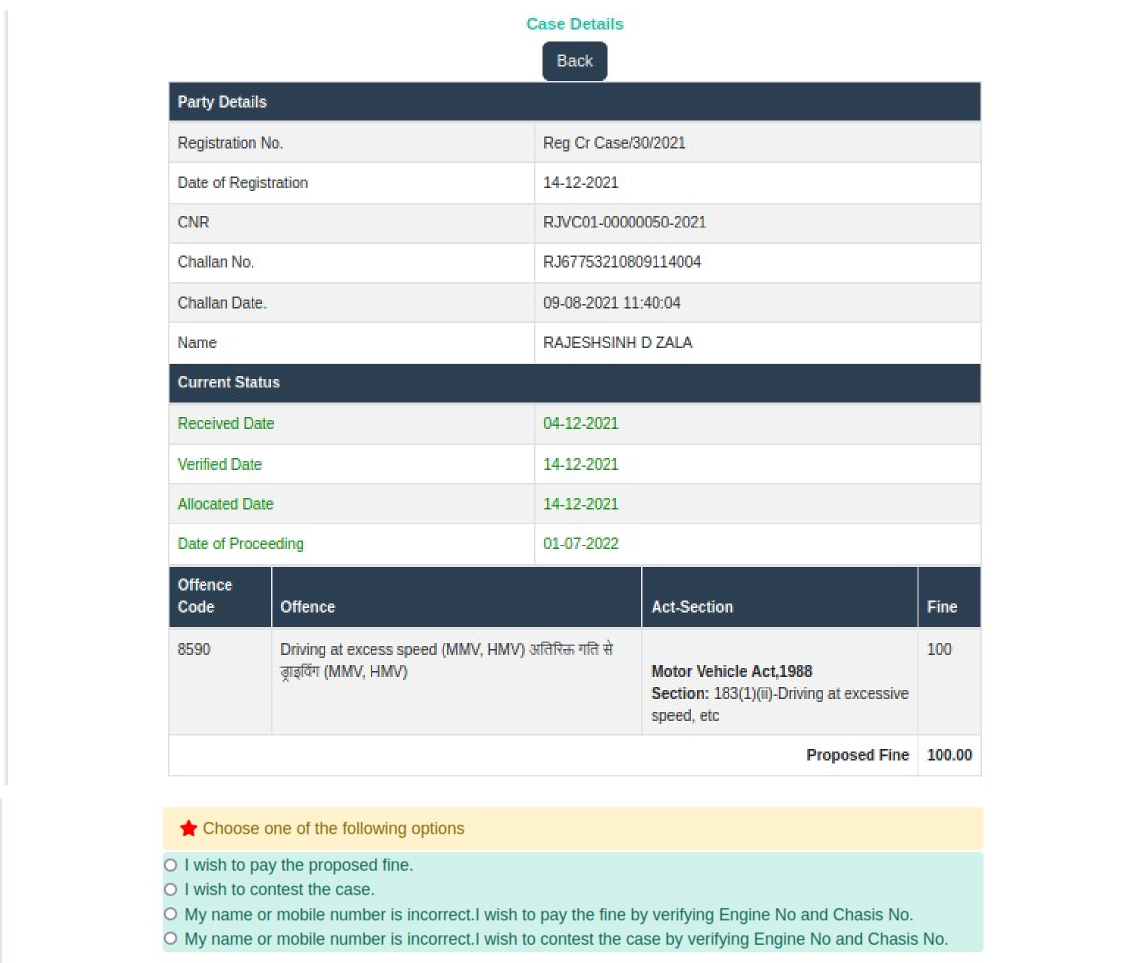

Case Details

Back

Party Details	
Registration No.	Reg Cr Case/30/2021
Date of Registration	14-12-2021
CNR	RJVC01-00000050-2021
Challan No.	RJ67753210809114004
Challan Date.	09-08-2021 11:40:04
Name	RAJESHSINH D ZALA
Current Status	
Received Date	04-12-2021
Verified Date	14-12-2021
Allocated Date	14-12-2021
Date of Proceeding	01-07-2022

Offence Code	Offence	Act-Section	Fine
8590	Driving at excess speed (MMV, HMV) अतिरिक्त गति से ड्राइविंग (MMV, HMV)	**Motor Vehicle Act,1988** **Section:** 183(1)(ii)-Driving at excessive speed, etc	100
		Proposed Fine	**100.00**

★ Choose one of the following options

- ○ I wish to pay the proposed fine.
- ○ I wish to contest the case.
- ○ My name or mobile number is incorrect.I wish to pay the fine by verifying Engine No and Chasis No.
- ○ My name or mobile number is incorrect.I wish to contest the case by verifying Engine No and Chasis No.

यहां आरोपी व्यक्ति को निम्न चार विकल्प उपलब्ध होते है-

1. वह चालान में दिये गए नाम व मोबाईल नंबर को सही मानते हुए, उन्हीं के माध्यम से अधिरोपित जुर्माना जमा करा दे।
2. वह चालान में अंकित विवरण को सही मानते हुए किंतु आरोपित अपराध के आरोप को अस्वीकार करते हुए विचारण की ईच्छा जाहिर करे।

3. वह चालान में अंकित नाम व मोबाईल नंबर गलत होना बताते हुए इंजिन नंबर या चेचिस नंबर के विवरण के आधार पर अन्य नाम व मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अधिरोपित जुर्माना राशि जमा करा दे।
4. वह चालान में अंकित नाम व मोबाईल नंबर गलत होना बताते हुए आरोप अस्वीकार कर विचारण की ईच्छा जाहिर करें।

यदि आरोपी विचारण की ईच्छा जाहिर करता है, तो वर्चुअल कोर्ट मामले को संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में अंतरित कर देगा, जहां मामले का विधिनुसार विचारण किया जायेगा। यदि आरोपी आरोपित अपराध एवं अधिरोपित जुर्माना राशि स्वीकार कर उसे जमा कराने का विकल्प चुनता है तो निम्न विंडो आयेगी-

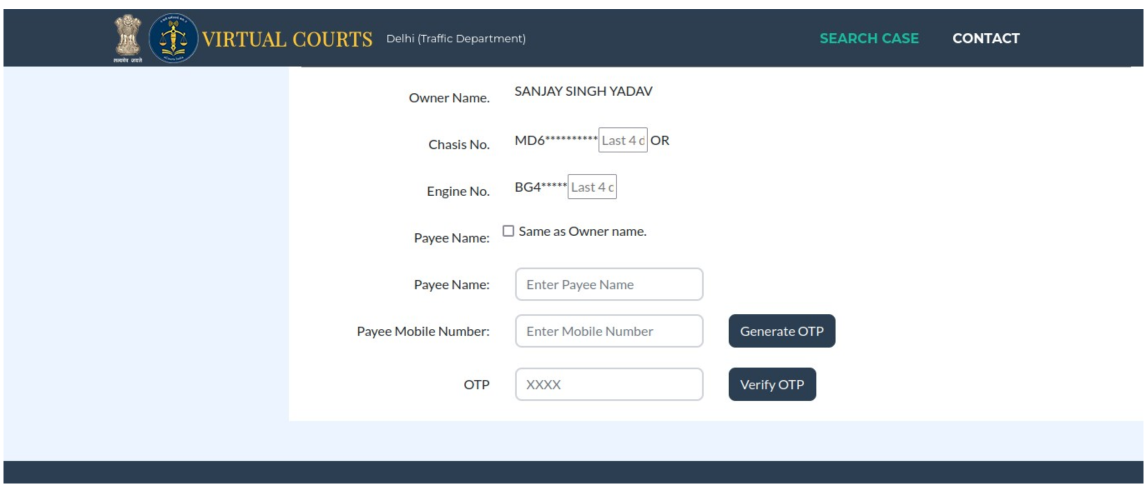

उक्त चार विकल्पों में से प्रथम विकल्प का चयन करने पर सीधे चालान में अंकित मोबाईल नंबर पर आये ओ. टी. पी. की प्रविष्टि करने पर और तृतीय विकल्प चुनने पर चेचिस नंबर या इंजिन नंबर व मोबाईल नंबर इत्यादि का विवरण अंकित करते हुए प्राप्त ओ. टी. पी. की प्रविष्टी करने पर निम्नानुसार राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की वेबसाईट का लिंक खुल जायेगा, जिसमें नेट बैंकिंग या डेबिट \ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिरोपित जुर्माना राशि जमा करायी जा सकेगी।

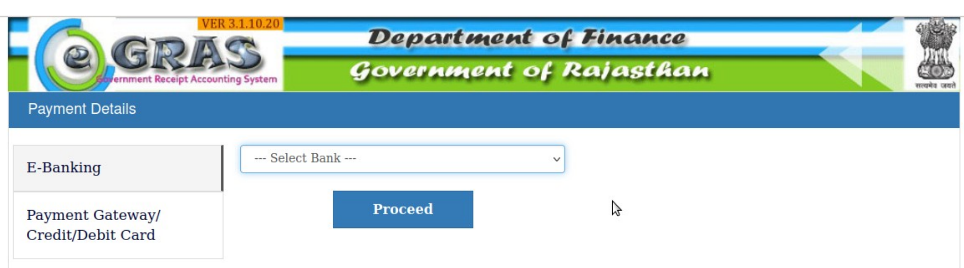

राशि जमा कराने पर उसकी रसीद भी generate होगी, जिसे डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है। वर्चुअल कोर्ट ओनलाईन जुर्माना जमा कराने पर उस मामले का निस्तारण कर उसकी सूचना संबंधित पुलिस विभाग को भी देगा। मामले में यदि कोई वाहन या कागजात जब्त किये गए है, तो ट्रेफिक विभाग को प्राप्त सूचना और जुर्माने की रसीद के आधार पर उन्हें पुनः संबंधित पुलिस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

*****